रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2012/आश्विन 13, 1934

No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2012/ASVINA 13, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 744(अ).— केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

(1) (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) योजना, 2012 कहलाएगी।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में (एतदुपरांत मुख्य योजना के रूप में संदर्भित), अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित पैराग्राफ 83 के अंतर्गत -

(क) मुख्य योजना के पैरा 69 में, जिसे उपर्युक्त पैरा 83 के पैरा 6 के अनुसार संशोधित किया गया है, उप-पैरा (4) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" (4) अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए किसी प्रतिष्ठान में अपवर्जित कर्मचारी होने पर भारत सरकार तथा किसी देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य के संबंध में" ;

(ख) मुख्य योजना के पैरा 72 में, जिसे उपर्युक्त पैरा 83 के पैरा 7 के अनुसार संशोधित किया गया है, उप-पैरा (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" (2) सदस्य की बकाया राशि आदाता के बैंक खाते में प्रत्यक्षतः अथवा नियोक्ता के माध्यम से भुगतान की जाएगी "।

[फा. सं. एस-35025/09/2011-एस एस-II]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में उ.क्षे.का. 1509, दिनांक 2 सितम्बर, 1952 के अंतर्गत प्रकाशित की गयी थी और पिछली बार इसे सा.का.नि. 382(अ), दिनांक 24 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

G.S.R. 744(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely: -

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the principal Scheme), under paragraph 83 relating to special provisions in respect of International Workers.-

(a) in paragraph 69 of the principal Scheme, as modified by para 6 of aforesaid paragraph 83, for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(4) In respect of a member covered under social security agreement entered into between Government of India and any other country, on ceasing to be an employee in an establishment covered under the Act.";

(b) in paragraph 72 of the principal Scheme, as modified by para 7 of aforesaid paragraph 83, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) The due amount in respect of the member shall be payable in the payees bank account directly or through the employer".

[F. No. S-35025/09/2011-SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Foot Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and lastly amended *vide* number G.S.R. 382(E), dated the 24th May, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 745(अ).— केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

(1) (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2012 कहलाएगी।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

2 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में (एतदुपरांत मुख्य योजना के रूप में संदर्भित), अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित पैराग्राफ 43(क) के अंतर्गत –

(क) मुख्य योजना के पैरा 2 में, उपर्युक्त पैरा 43 (क) के के उप-पैरा (2) द्वारा यथासंशोधित, खंड (xv) का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) पूर्वोक्त पैरा 43 क के उप-पैरा (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

'(4क) मुख्य योजना के पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9 अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में पात्र सेवा का निर्धारण – पात्र सेवा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) "विद्यमान सदस्य" अथवा "नयागत" के मामले में, "वास्तविक सेवा" को पात्र सेवा के रूप में माना जाएगा।

(ii) किसी सामाजिक सुरक्षा करार द्वारा शामिल किए गए सदस्य के मामले में, दूसरे देश में संगत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दायरे संबंधी अवधि वार्षिक सेवा में जोड़ी जाएगी तथा उसके योग को सामाजिक सुरक्षा करार में प्रावधान की गई पात्र सेवा के रूप में माना जाएगा।";'

(ग) मुख्य योजना के पैरा 10 में, पूर्वोक्त पैरा 43 क के उप-पैरा (5) द्वारा यथासंशोधित, उप-पैरा (1) का लोप कर दिया जाएगा।

[फा. सं. एस-35025/09/2011-एस एस-II]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 16 नवम्बर, 1995 को संख्या 748(अ.) के अंतर्गत प्रकाशित की गयी थी और पिछली बार दिनांक 5-8-2011 के का.आ. 1809(अ.) के तहत इस योजना को संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

G.S.R. 745(E).— In exercise of the powers conferred by section 6A, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as the principal Scheme), under paragraph 43A relating to special provisions in respect of International Workers,-

(a) in paragraph 2 of the principal Scheme, as modified by sub-para (2) of aforesaid paragraph 43A, clause (xv) shall be omitted;

(b) after sub-para (4) of aforesaid paragraph 43A, the following sub-para shall be inserted, namely:-

'(4A) For paragraph 9 of the principal Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"9. Determination of eligible service in respect of International Workers. - The eligible service shall be determined as follows:

(i) in the case of the "existing member" or the "new entrant", the "actual service" shall be treated as eligible service.

(ii) in the case of the member covered by a social security agreement, the period of coverage under relevant social security programme in another country shall be added to actual service and the aggregate thereof shall be treated as eligible service as may be provided in the social security agreement." ';

(c) in paragraph 10 of the principal Scheme, as modified by sub-para (5) of the aforesaid paragraph 43A, sub-paragraph (1) shall be omitted.

[F. No. S-35025/09/2011-SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Foot Note : The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 748(E), dated the 16th November, 1995 and the Scheme was last amended *vide* number S.O. 1809(E), dated 5-8-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.